# न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, हरदोई।

**पीठासीन–सुनील कुमार सिंह द्वितीय (एच.जे.एस.),**

**आई०डी० नम्बर–यू0 पी0–6073**

एफ०आर० संख्या–329/2022

अपराध संख्या–368/2021

अं0 धारा–354,452,504,506 भा0 दं0 सं0 एवं 3(1)(ध), 3(2)(va)एस०सी०एस०टी०एक्ट धारा 7/8 पाक्सो अधिनियम

थाना लोनार, जिला हरदोई।

श्रीमती राजरानी बनाम हंसराम

**दिनांकः 12.01.2023**

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को अन्तिम आख्या के विरूद्ध प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र पर सुना जा चुका है।

वर्तमान मामले में वादिनी मुकदमा श्रीमती राजरानी द्वारा मु0 अ 0 सं0 368/2021 अन्तर्गत धारा– 354,452,504,506 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 7/8 पाक्सो अधिनियम तथा धारा 3(1)(ध),3(2)(va)एस०सी०एस०टी०एक्ट से सम्बन्धित अन्तिम रिपोर्ट संख्या–60/21 दिनांकित 12.11.2021 के सम्बन्ध में प्रोटेस्ट पिटीशन प्रस्तुत किया गया है।

प्रोटेस्ट पिटीशन में वादिनी का कथन है कि उसकी पुत्री सरोजनी निवासी ग्राम सिलवारी थाना लोनार जिला हरदोई आयु 15 वर्ष दिनांक 17.08.2021 को उसकी पुत्री खेत मे थी।उसकी पुत्री को हंसराम पुत्र कल्लू निवासी ग्राम सिलवारी थाना लोनार जिला हरदोई जबरिया खेत मे ले गया जब उसकी पुत्री ने बिरोध किया तो विपक्षी ने दिनांक 17.09.21 को समय एक बजे दिन मे उसके घर आया और उसे गाली–गलौज कर जान माल की धमकी दी और जबरिया उसके घर के अन्दर घुसकर उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकतें की। गन्दी–गन्दी गालियां दी और कहा कि साली चमरिया बहुत जबरदस्त है जो हमसे लड़ेगी। थाना लोनार पर घटना की रिपोर्ट लिखी गयी और विवेचना क्षेत्राधिकारी महोदय को सौपी गयी। क्षेत्राधिकारी महोदय न तो घटनास्थल पर गये,न कोई नक्शा नजरी बनाया और न ही पीड़िता का बयान लिखा और सम्पूर्ण विवेचना थाने पर बैठकर पूर्ण कर ली। वादिनी के किसी गवाह का साक्ष्य अंकित नही किया गया। विवेचनाधिकारी महोदय ने साक्ष्य संकलित करने के बजाय अभियुक्त को वेजा फायदा पहुंचाने की नियत से विवेचना किया है जबकि उपरोक्त घटना का काफी साक्ष्य मौजूद है। विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या पक्षपातपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।प्रोटेस्ट पिटीशन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है।

**सुना। केस डायरी सहित पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।**

पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या 60/21 दिनांकित 12.11.2021 में यह कहा गया है कि अभियोग की तमामी विवेचना मे वादिनी द्वारा उसकी पुत्री के साथ बलात्कार एवं छेड़खानी के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य नही पाये गये है। वादिनी द्वारा आरोपी के पिता द्वारा उसके एवं उसके परिवारीजनो के विरूद्ध पंजीकृत कराये गये मुकदमा अपराध सं० 367/21 मे दबाब बनाने के उद्देश्य से लिखाया गया है। यह बात गवाहों के बयान मुकदमा अपराध सं० 367/21 की विवेचना से परिलक्षित होती है। अभियोग की पीड़िता सरोजनी के साथ घटना के कोई साक्ष्य न पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट

Digitally signed by Sunil Kumar Singh
Date: 2023.01.13 10:43:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रेषित की जा रही है।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **अनिल कुमार चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2004 इलाहाबाद दण्ड निर्णय 481** के मामले मे यह तथ्य अवधारित किया गया है कि अन्तिम रिपार्ट प्राप्ति पर न्यायालय के समक्ष चार विकल्प उपलब्ध हैंः–

1. स्वीकार या अस्वीकार के पूर्व सूचनाकर्ता को सुनवाई का अवसर, तब विवेचक के निष्कर्ष से सहमत होकर अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है।

2. यदि पर्याप्त आधार पाता है, तो विवेचक के निष्कर्ष से वाध्य न होकर धारा 190(1) (ख) के अधीन संज्ञान लेकर आदेशिका जारी कर सकता है।

3. अन्वेषण में असावधानी दिखने पर आगे अन्वेषण का आदेश दे सकता है।

4. प्रारम्भिक परिवाद पर अभ्यापत्ति याचिका को परिवाद मानते हुए उसके समर्थन मे धारा 200 एवं 202 दं0 प्र 0 सं0 मे दिये गये कथनो को लेखबद्ध करते हए परिवाद को खारिज कर सकता है या पर्याप्त साक्ष्य होने पर आदेशिका जारी कर सकता है।

केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा कथित तौर पर कुछ स्वतत्र गवाहों के साक्ष्य अंकित करके यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि वादिनी मुकदमा लोगो के विरूद्ध प्रायः थाने मे प्रार्थनापत्र देकर फर्जी मुकदमा पंजीकृत करवाती रहती है और बाद मे पैसा लेकर सुलह कर लेती है। किन्तु विवेचक द्वारा ऐसा एक भी प्रार्थनापत्र संलग्न सी डी नही किया गया जिससे यह दर्शित होता हो कि वादिनी द्वारा लोगो के विरूद्ध फर्जी प्रार्थनापत्र थाने मे दिया जाता है और बाद मे पैसा लेकर सुलह कर ली जाती है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध मे न्यायालय का मत यह है कि क्या इसी आधार पर वर्तमान मामले मे अन्तिम आख्या प्रस्तुत की जा सकती थी उत्तर निश्चित ही नकारात्मक होगा। इसी प्रकार विवेचक द्वारा यह भी कहा गया कि दिनांक 17.09.2021 को प्रस्तुत मामले की घटना है और तत्काल पीड़िता का मेडिकल कराया गया किन्तु उसके शरीर पर किसी चोट या जबरदस्ती के निशान नही पाये गये। इस सम्बध मे न्यायालय का मत है कि हर छेड़खानी मे चोट के निशान पाये जाय यह आवश्यक नही है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि पीड़िता की चाची और भाभी ने महज आरोपी द्वारा लड़की के साथ बिन्धने की बात कही है। उन गवाहो को विवेचक ने यह कहकर मना कर दिया कि यह लोग हितबद्ध है। जो कथित तौर पर स्वतंत्र गवाह है उनकी बात पर विश्वास करते हुए तथा पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 164 दं०प्र०सं० एवं पुलिस के समक्ष दिये गये बयान पर अविश्वास करते हुए अन्तिम आख्या प्रस्तुत करना विवेचक की त्रुटि थी। इसके अतिरिक्त वादिनी द्वारा सशपथ यह कथन किया गया है कि क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा न तो नक्शा नजरी बनाया गया और न विवेचना करने घटनास्थल पर गये और न ही वादिनी या पीड़िता के कोई बयान ही लिये। सम्पूर्ण विवेचना थाने पर बैठकर पूर्ण कर ली गयी। उसके द्वारा यह भी कहा गया कि वादिनी के किसी भी गवाह साक्षी का बयान नही लिया गया। इसके विपरीत अभियुक्तपक्ष के गवाहो की गवाही कराकर विवेचना पूर्ण कर दी गयी और इस बात का कोई खण्डन नही है। जिस पर अविश्वास करने का कोई औचित्य नही है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। तदनुसार अन्तिम आख्या 60/21 दिनांकित 12.11.2021 निरस्त किये जाने योग्य है। किन्तु प्रस्तुत मामले मे चूंकि सारे तथ्य न्यायालय के समक्ष है। ऐसी स्थिति मे मामले मे अग्रिम विवेचना न कराकर स्वयं न्यायालय द्वारा जांच प्रक्रियां अपनायी जानी उचित होगी।

तदनुसार प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप मे पंजीकृत कराये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

तद्नुसार वादिनी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन स्वीकार किया जाता है।मु0 अ 0 सं0 368/2021 अन्तर्गत धारा–354,452,504,506 भा0 दं0 सं0 एवं धारा 7/8 पाक्सो अधिनियम तथा धारा 3(1)(ध),3(2)(va)एस०सी०एस०टी०एक्ट से सम्बन्धित अन्तिम रिपोर्ट संख्या–60/21 दिनांकित 12.11.2021 निरस्त की जाती है। कार्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मो परिवाद के रूप मे पंजीकृत किया जावे।

पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० दिनांक 15.02.2023 को पेश हो।

दिनांकः 12.01.2023

( सुनील कुमार सिंह द्वितीय)
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट
हरदोई।